

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के साबन्ध में जांच की गई। जिराके अनुसार खाता नम्बर 275-78 के खान 97 में खानेदार का नाम खंडरलाल पि गिरधारी दर्ज है। प्रार्थी दाव उल्लेख दस्तावेज के प्रामाणिकता परिनियम, आमाटगाई में प्रार्थी का नाम खंडरलाल पि गजुराम संज्ञित है। अतः सीमांक में के निवेदन है कि प्रार्थी का नाम खंडरलाल पि गिरधारी के बजाय खंडरलाल पि गजुराम लिखा जाने रिपोर्ट सीमांक में के नामों का उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक 14/12/2021

15/12/21
D.P. 2012/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है/नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	अजयपुरवा	2015-78	97	खंडरलाल पि गिरधारी	खंडरलाल पि गजुराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

16/12/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/2389

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सहायार्थ।

16/12/21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी